104

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

क्रमांकः एफ.61(110) SSAAT/Conc. SA Calendar/20–21/2073 जयपुर दिनांकः 15.12.2020

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (ई.जी.एस.),
समस्त।

(आदेश कमांक ....12... /2020)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराये जाने बाबत।

सन्दर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पत्रांक 2018–43 दिनांक 09.12.2020 एवं समसंख्यक पत्रांक 2045–59 दिनांक 09.12.2020

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु सन्दर्भित पत्रों द्वारा दिशा निर्देश एवं माह दिसम्बर, 2020 का कलैण्डर जारी किया गया था, जिसमें दिनांक 17.12.2020, 24.12.2020, 31.12.2020 की दिनांक समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित की गई थी। उपरोक्त तीनों तिथियों को गुरूवार होने एवं गुरूवार को नरेगा दिवस के रूप में श्रमिकों का अवकाश होने के कारण सक्षम स्तर पर निर्णय अनुसार लेख है कि उक्त तिथियों को किया जाने वाला समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कार्य जिला अधिकारीगण को उक्त निर्धारित तिथियों के एक दिवस पूर्व अथवा एक दिवस पश्चात् अर्थात बुधवार या शुक्रवार को सम्पादित किया जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक ग्राम पंचायत का प्रत्येक माह में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण एक दिवसीय कार्यक्रम है अतः एक से अधिक दिवस का मानदेय देय नहीं होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवश्यकतानुसार सामाजिक अंकेक्षण दल/सदस्यों को एक से अधिक ग्राम पंचायतों का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कार्य सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा।

जिन अंकेक्षण दलों को ग्राम पंचायतों समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित किया जावें, उसकी सूचना सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), जयपुर मुख्यालय को E-mail ID: MIS.DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN. GOV.IN पर अविलम्ब प्रेषित किया जावें।

साथ ही समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कार्य करने के इच्छुक ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों (जिनको अंकेक्षण कार्य आवंटित किया गया है) की बैंक खातों की सूचना दिशा निर्देशों में दिये गये लिंक पर तुरंत भिजवाये।

उपरोक्त निर्देश अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की आई. डी. सं. 4506 दिनांक 14.12.2020 द्वारा अनुमोदित है जिनकी पालना सुनिश्चित की जावे।

15/12/2020

(रामावतार शर्मा)
निदेशक,
सामाजिक लेखा परीक्षा,
जवाबदेही एवं पारदर्शिता
सोसायटी (SSAAT)

क्रमांकः एफ.61(110) SSAAT/Conc. SA Calendar/20–21/2073-84 जयपुर दिनांकः 15.12.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय (GB), सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त,ईजीएस।
5. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त को पालनार्थ।
7. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त को पालनार्थ।
8. ACP मनरेगा/ग्रा.वि.वि./पंचायती राज विभाग को भेजकर लेख है कि इन आदेशों को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
9. लेखाधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष, (SSAAT) को पालनार्थ।
10. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम/द्वितीय/प्रोग्रामर/सूचना सहायक/कनिष्ठ लेखाकार, SSAAT (समस्त) को पालनार्थ।
11. प्रोग्रामर, SSAAT को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि इन आदेशों को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।

15/12/2020

(रामावतार शर्मा)
निदेशक,
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता
सोसायटी(SSAAT)
पारदर्शिता सोसयटी